

alin - D.P.P.

15/3/10

2 (देखे अभिलेख हस्तक 194 'क' का नियम 129)

आदेश पत्रक संख्या 71/07/08

का प्रकार निलाम पत्र वाक

खूटी सत्र सो

और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

1

2

3

15/3/10

State बैंक Lohma
 शाखा की ओर से अधिवक्ता ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र दाखिल किये हैं कि
 निलाम देनदार श्री Silash Munda
 पिता श्री Late Lucas Munda
 ग्राम Murhu पो. Lohma
 थाना Karra के विरुद्ध उपान्त में लिखित बैंक ऋण बाकी है उनके
 विरुद्ध निलाम पत्र वाद दायर कर वसूली किया जाय। बैंक की ओर से कोर्ट की
 राशि का स्टाम्प 3169 रु० का दायर किया गया है जो अभिलेख के
 साथ सलग्न है। उपर्युक्त
 तथ्य से मैं सहमत हूँ। निलाम देनदार धारा 7 पी०डी०आर० एक्ट के अन्तर्गत
 नोटिस निर्गत करें तथा अभिलेख दिनांक 31/3/10 को प्रस्तुत करें।
 लेखापित एवं सत्यापित

Pri Rs - 30218 = 0
 C-fee - 3140 = 0
 P. fee - 25 = 0
 33387 = 0

15/3/10
 निलाम पत्र पदाधिकारी
 खूटी।

15/3/10
 निलाम पत्र पदाधिकारी
 खूटी।


30/3


नामिका आपा प्र। वकिल
 अदालत क्लिप पाप कर
 अमि० दिनांक 15/3/10
 की रखें।
 31/3/10

1/1/80

अभिलेख व्यवस्थापित। - केंद्र
के अधिनियम द्वारा - केंद्र द्वारा अधिनियम
दिया गया है कि विद्यालय मुद्रा
द्वारा 33387-00 (मैत्री हलार
की सौ मन्गली रूप) 5 दिनों में
अवधि इनके रूप में कोई प्रस्ताव 2000
नहीं है।

अतः केंद्र उपाय फल से
आधार पर वार की कारवाई का
समाप्त किया जाय है साथ ही
आरटी प्रमाण अभिलेख व्यवस्थापित
रू में रू में अभिलेखान में
जमा में।

लेखापति/प्रशासक

निवास फल प्रशासकी
अनुमोदन प्रशासकी
रू में


निवास फल प्रशासकी
सह
अनुमोदन प्रशासकी
रू में।